सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख, 1943 (श०)

संख्या- 288 राँची, सोमवार, 26 अप्रैल, 2021 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2021

संख्या-परि० वि० -02/2020-426-- राज्य में SARS-CoV 2 (COVID-19) वायरस के प्रकोप से जनित आपदा का नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रबंधन किये जाने हेतु उपबंध प्रावधानित करने एवं COVID-19 वायरस के प्रकोप को रोकने के निमित्त सरकार स्तर पर विशेष उपाय किया जाना अत्यावश्यक है।

उपरोक्त तथ्य को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य सरकार कोरोना बीमारी के रोगियों को ससमय उपचार हेतु अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुलभ आपूर्ति एवं आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना समीचीन समझती है।

अतएव आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा-38 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (उ) और महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि ऐसी आपदा के दौरान इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, चिकित्सा प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त वाहनों को केवल ऑक्सीजन ले जाने के लिए एम्बुलेंस के समकक्ष माना जायेगा और तद्नुसार ऐसे वाहनों को आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों पर वाहन के रूप में माना जायेगा, इस प्रयोजन के लिए, ऐसे

वाहनों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 के उप-नियम (7) और नियम 119 के उप-नियम (3) के प्रावधान लागू होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

किरण कुमारी पासी,

परिवहन आयुक्त,

Department of Transport

Notification

26th April,2021

No. – Pari. Vi. -02/ 2020-426 --"No. F 35-09-2020-II-C-2—Whereas, due to outbreak of SARS-CoV 2 (Covid-19) Virus in the State of Jharkhand, it is necessary to provide for the effective management to control the disaster and to take certain measures at the Government level to prevent the outbreak of Covid-19 Virus.

And whereas, the State Government considers it expedient to ensure easy availability of the supply of oxygen in hospitals for timely treatment of patients of corona disease.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clouse (1) of sub-section (2) of Section 38 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) and Section 2 of the Epidemic Disease Act, 1897 (3 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Jharkhand, hearby, declares that the vehicles permitted for carrying Oxygen for medical purposes shall be treated at par with the Ambulance for carrying only oxygen, for a period of one year from the date of notification during such disaster and thereby such vehicles shall be as the vehicle on emergency and disaster management duties. For this purpose, provisions of sub rule (7) of rule 108 and sub-rule (3) of rule 119 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall apply to such vehicle.

By the order of the Governor of Jharkhand,

Kiran Kumari Pasi,

Transport Commissioner,

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 288 -- 50